

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या - 30/2021

बड़जलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 राधेश्याम प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास,
मारवाड मुण्डवा जिला नागौर।
फर्म-कृष्णा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, पंजाबी बाबा की प्याउ, मारवाड मुण्डवा।
2शिव प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास,
मारवाड मुण्डवा जिला नागौर।
फर्म-कृष्णा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, पंजाबी बाबा की प्याउ, मारवाड मुण्डवा।

आदेश

दिनांक :23.12.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 14-12-2020 को मैसर्स कृष्णा डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, पंजाबी बाबा की प्याउ, मारवाड मुण्डवा पर दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1468 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 696/एक्ट/2020/318 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राधेश्याम प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास मारवाड मुण्डवा जिला नागौर तथा शिव प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-03-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.12.2021 को अपने जवाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी डेयरी से दूध का नमूना भरा था। जो सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैं छोटा दुकानदार हूँ। मैं दूध मोटरसाइकिल से गांव की ढाणियों से खरीद कर लाता हूँ। जिसमें गाय, बकरी, भैंस आदि का शामिल दूध रहता है। उसकी वजह से दूध में फेट की मात्रा कम होने से नमूना सबस्टेण्डर्ड हो गया। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 696/एक्ट/2020/318 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं.1 राधेश्याम प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास मारवाड मुण्डवा जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 2 शिव प्रजापत पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी पोकण्डी के पास, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर (राजस्थान)